राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2730/2024

डॉ. विजयश्री **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.08.2024

आदेश की दिनांक : 30.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, लांगडियावास, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2004 में संविदा आधार पर हुई थी और वर्ष 2015 तक निरंतर सेवायें दी। तत्पश्चात् अपीलार्थी आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा नियमित नियुक्त हुआ तथा अपीलार्थी ने दिनांक 27.08.2015 को कार्यग्रहण किया।

परंतु विशेष परिस्थिति के कारण अपीलार्थी ने 15 दिवस का अवकाश के लिये दिनांक 18.10.2015 को प्रार्थना पत्र दिया और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 04.06.2018 से 27.11.2019 तक अवकाश पर थी। इसके पश्चात् उसे कार्यग्रहण करने के लिये निदेशित किया गया और दिनांक 25.11.2019 से अपीलार्थी निरंतर कार्य कर रही है, जिसके चलते बिना सेवा के ब्रेक हुये 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। परंतु अपीलार्थी का न तो वेतन निर्धारण एवं न ही नियमितिकरण किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी निर्धारित वेतन प्राप्त कर रही है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की सेवाओं को नियमितिकरण किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये जावें और 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर वेतनमान निर्धारित करते हुये समस्त सेवा लाभ आदि प्रदान किये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य